रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.–33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2012/अग्रहायण 13, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 205
No. 196] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2012/AGRAHAYANA 13, 1934 [N.C.T.D. No. 205

भाग–IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

फा. सं. (1)/4/एफ.ए.एस./डब्ल्यूडीएम/उब्ल्यूसीडी/05-06/26278-287.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गरीब विधवा महिला की पुत्री एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता नियमावली 2006 जैसाकि दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. 41/42/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफ.ए.एस./स्कीम अमेंड/09-10 दिनांक 21-9-2006, 6-5-2008, 28-10-2009 एवं 30-6-2011 में निम्न संशोधन करने हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ :—

(i) इन नियमों को गरीब, विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता नियमावली (संशोधित) नियम 2012 कहा जाएगा ।

(ii) यह नियमावली चालू वित्त वर्ष 1 अप्रैल, 2012 से लागू माना जाएगा ।

2. नियम 2 में संशोधन .—गरीब, विधवा, महिला की पुत्रियों एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता नियमावली 2006 के नियम 2, के उप-नियम (1) (a) में गरीब महिला शब्द के बाद ''तलाकशुदा विवाह विच्छेद, परित्यक्ता, पृथक एवं असहाय'' जोड़ा जाता है ।

3. नियम 4 में संशोधन .—कथित नियमावली के नियम 4 में शब्दों में ''पच्चीस'' की जगह ''तीस'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4. नियम 6 में संशोधन .—कथित नियमावली के नियम 6, उप-नियम (4) (a) में निम्न जोड़ा जाता है ''तलाकशुदा पृथक एवं परित्यक्ता एवं असहाय महिला के लिए तलाक की डिक्री/प्रथक्करण, परित्यक्ता कागजात, एवं अन्य कोई कानूनी कार्यवाही, जिसमें थाने में प्रतिवेदन महिला के विरुद्ध अपराध कक्ष, परिवार परामर्श केन्द्र, दिल्ली महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला पंचायत स्वीकार्य होंगे । ''

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2012

F. No. 1(4)/FAS/WDM/WCD/05-06/26278-287.—The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the rules in respect of the Scheme of Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Rules, 2006, as published in the Delhi Gazette vide Notification F. 41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/21-9-2006, 6-5-2008, 28-10-2009, and 30-6-2011, as following, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These Rules may be called The Financial Assistance for the marriage of daughters of poor widows and orphan girls (Amendment) Rules 2012.

(2) These shall be deemed to have come into force on 1st day of April, 2012.

2. Amendment of Rule 2.—In the Financial Assistance for the marriage of daughters of poor widows and orphan girls Rules 2006, in rule 2, in sub-rule (1) in clause (a) after the words "Poor Widows" the words "divorced, separated, abandoned, deserted or destitute women" shall be inserted.

3. Amendment of Rule 4.—In the said Rules in rule 4 for the words "Twenty Five" the word "Thirty" shall be substituted.

4. **Amendment of Rule 6.**—In the said Rules in rule 6, in sub-rule (4) in clause (a) the following words shall be inserted in the end, namely :—"For divorced/separated/abandoned or deserted women, divorce decree, any legal proceedings including reports in the police station, Crime against Women Cell, Family Counselling Centres (FCC), Delhi Commission for Women, National Commission for Women, Mahila Panchayats shall be admissible."

RAJIV KALE, Director (WCD)

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

फा. सं. 3(9)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/खं. फा.-1/डीएस VI/274.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु.	पदनाम
1.	अरविन्द प्रकाश	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	राम प्रकाश मीना	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th December, 2012

F. No. 3(9)/Fin.(T&E)/2009-10/Ptf.1/ds VI/274.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1.	Arvind Prakash	Assistant Value Added Tax Officer
2.	Ram Prakash Meena	Assistant Value Added Tax Officer

सं. फा. 3(14)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएस VI/275.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	राधे श्याम	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

No. F. 3(14)/Fin.(T&E)/2009-10/ds VI/275.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :

S. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1.	Radhey Shyam	Value Added Tax Inspector

सं. फा. 3(14)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएस VI/276.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	सतीश त्यागी	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI(वित्त)

No. F. 3(14)/Fin.(T&E)/2009-10/ds VI/276.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :

Sl. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1.	Satish Tyagi	Value Added Tax Inspector

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

सं. फा. 1(152)/पंजी.शाखा/मुं.आयु./मुख्या./2011/780.—दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 47क तथा धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726 (संख्या एफ. 2/5/61-न्यायिक-2), 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना का.आ. 2709 (41/2/66-दिल्ली) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 2007 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में तथा इस सरकार की दिनांक 15-11-2011 की अधिसूचना संख्या एफ (152)/पं.शा./मुं.आ./मुख्याव/2011/919 के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गये नियमों के प्रयोजन एवं आशय हेतु दिल्ली में भूमि तथा अचल सम्पत्तियों

के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम दरों (सर्कल रेट) को संशोधित तथा अधिसूचित करते हैं, जैसा कि इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में दिया गया है ।

उपरोक्त दरें दिल्ली में भूमि तथा अचल संपत्तियों के लिखत के पंजीकरण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के उपबंधों के अनुसार उन सभी पंजीयक अधिकारियों द्वारा लिखत के पंजीकरण के समय ध्यान में रखी जाएंगी, जो उनके सामने अधिकार क्षेत्र होने के कारण दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है।

ये संशोधित दरें 5 दिसम्बर, 2012 से प्रवृत्त होंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

नीला मोहनन, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण-1)

प्रथम परिशिष्ट-1

दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये भूमि तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम दरें (सर्कल रेट) ।

1. वाणिज्यिक औद्योगिक और अन्य प्रयोगों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारण भूमि दरें :

तालिका-1

इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
ए	645000
बी	204600
सी	133200
डी	106400
ई	58400
एफ	47200
जी	38500
एच	19400

2. आवासीय प्रयोग हेतु न्यूनतम भूमि दरें :–

2.1 विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के अंतर्गत भूमि का मूल्य ज्ञात करते समय आवासीय प्रयोग के लिए उक्त न्यूनतम भूमि दरों पर निम्नलिखित गुणक लागू होंगे :-

तालिका 1.1

प्रयोग*	आवासीय	सार्वजनिक उद्देश्य जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल आदि	सार्वजनिक सुविधाएं जैसे निजी विद्यालय/महाविद्यालय/अस्पताल	औद्योगिक	वाणिज्यिक
गुणक	1	1	2	2	3

*एकक क्षेत्रफल संपत्ति कर पद्धति की परिभाषाओं की भांति

3. निर्माण लागत की न्यूनतम दरें :-

3.1 निर्माण की लागत की आधार एकक दर निम्न होगी :–

तालिका 1.2

इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिए न्यूनतम निर्माण दर (रुपये प्रति वर्गमीटर में)	वाणिज्यिक प्रयोग के लिए निर्माण की न्यूनतम दर (रुपये प्रति वर्गमीटर)
(1)	(2)	(3)
ए	18300	21000
बी	14500	16600

(1)	(2)	(3)
सी	11600	13300
डी	9300	10700
ई	7800	9000
एफ	6850	7900
जी	5800	6700
एच	2900	3300

3.2 संरचना की आयु पर विचार करने हेतु निम्नलिखित गुणक निर्माण की न्यूनतम लागत पर लागू होंगे :-

संपूर्ति वर्ष	1960 से पहले	1960-69	1970-79	1980-89	1990-2000	2000 से आगे
अवधि गुणक	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

3.3 विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के लिये उक्त न्यूनतम निर्माण लागत पर निम्नलिखित गुणक केवल 'जी' और 'एच' श्रेणियों की कॉलोनियों के लिये ही विचारणीय होंगे :-

ढ़ांचा प्रकार	पक्का	अर्धपक्का	कच्चा
गुणक	1.0	0.75	0.5

4. चार तलों तक निर्मित फ्लैटों के लिए न्यूनतम दरें :-

तालिका-1.3

कुर्सी तथा क्षेत्र के आधार पर फ्लैट की श्रेणी (वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों/ सहकारी समिति तथा सामूहिक आवास समितियों के लिए न्यूनतम निर्माण दर (रुपय प्रति वर्ग मीटर) (आवासीय प्रयोग की स्थिति में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण/ सामूहिक आवास समितियों/ निजी बिल्डरों द्वारा फ्लैट् के लिए न्यूनतम निर्माण दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर) (वाणिज्यिक प्रयोग की स्थिति में)	निजी कालोनियों के लिए गुणक
30 वर्ग मीटर तक	42000	48200	1.10
30 से ऊपर तथा 50 वर्ग मीटर तक	45400	52100	1.15
50 से ऊपर तथा 100 वर्ग मीटर तक	55200	63300	1.20
100 वर्ग मीटर से ऊपर	63500	72800	1.25

क. दिल्ली विकास प्राधिकरण/सहकारी/सामूहिक आवास सोसायटी के चार तलों से अधिक तलों फ्लैटों के लिए आवासीय प्रयोजनों के लिए 732000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की एक समान दर निर्मित क्षेत्र की दर पर न्यूनतम मूल्य मान लिया जाएगा जबकि उस स्थिति में, जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए यही प्रयुक्त की जाती है तब वाणिज्यिक प्रयोग के लिए 84000 रुपये प्रति वर्गमीटर की एक समान दर निर्मित क्षेत्र की दर पर न्यूनतम मूल्य मान लिया जाएगा । निजी बिल्डरों द्वारा बहुमंजिलों फ्लैटों के लिए 1.25 का गुणक लागू होगा ।

ख. बेचे गए किसी फ्लैट से भिन्न किसी स्वतंत्र संपत्ति का भाग कुर्सी क्षेत्र अर्थात् एकतल, बेचे गए अनुपातिक कुर्सी क्षेत्रफल के लिए सम्बद्ध न्यूनतम भूमि लागत और बेचे गए कुर्सी क्षेत्रफल पर लागू निर्माण की न्यूनतम लागत ली जा सकेगी ।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2012

F. No. 1(152)/Regn.Br./Div.Com./HQ/2011/780.—In exercise of the powers conferred by Section 27 and Section 47A of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as in force in Delhi and in pursuance of the provisions of rule 4 of the Delhi Stamp (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules, 2007, read with the Minisrty of Home Affairs, Government of India S.O. 1726 (F. No. 2/5/61-Judl-II) dated 22nd July, 1961 and Notification S.O. 2709 (41/2/66-Delhi), dated 7th September,

4487 GI/12-2

1966, and in supersession of this Government's Notification F. No. 1(152)/Regn.Br./Div.Com./HQ/2011/919 dated 15th November, 2011 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby revises and notifies, the minimum rates (circle rates) for valuation of lands and immovable properties in Delhi for the purposes and intent of the said Act and the rules made thereunder, as specified in Annexure I to this notification.

The above retes shall be taken into consideration for registration of instruments relating to lands and immovable properties in Delhi by all the Registering Authorities under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) at the time of registration of instruments under the provisions of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), having jurisdiction on the transaction placed before them for registration, under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), as in force in Delhi.

These revised rates shall come into force with effect from 05-12-2012

By Order and in the Name of Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi,

NILA MOHANAN, Spl. Inspector General (Registration-I)

ANNEXURE-I

Minimum Rates (Circle Rates) for valuation of Land and Properties for purposes of Registration under the Registration Act, 1908 in Delhi :—

1. Minimum Land Rates for Residential Use :—

TABLE-1

Category of Locality	Minimum rate for valuation of land for residential use (in Rupees per square meter)
A	645000
B	204600
C	133200
D	106400
E	58400
F	47200
G	38500
H	19400

2. Minimum Land Rates for Commercial, Industrial and other uses :

2.1 The following multiplicative use factors shall be employed to the above minimum land rates for residential use while calculating the cost of land under different uses :—

TABLE-1.1

Use*	Residential	Public Purpose e.g. Government schools hospitals etc.	Public utility e.g. Private school, colleges, hospitals	Industrial	Commercial
Factor	1	1	2	2	3

*Definitions are as in the Unit Area Property Tax System.

3. Minimum rates for cost of construction :

3.1 The base unit rate of cost of construction will be :

TABLE 1.2

Category of the Locality	Minimum rate of construction for residential Use (in Rs. per sq. mtr.)	Minimum rate of construction for Commercial use (In Rs. per sq. mtr.)
(1)	(2)	(3)
A	18300	21000
B	14500	16600
C	11600	13300
D	9300	10700

(1)	(2)	(3)
E	7800	9000
F	6850	7900
G	5800	6700
H	2900	3300

3.2 The follwoing multiplicative factors shall be employed to the minimum cost of construction for taking into consideration age of structures :—

Year of Completion	Prior to 1960	1960-69	1970-79	1980-89	1990-2000	2000 on words
Age factor	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

3.3 The follwoing multiplicative factors to the above minimum of cost of construction for different types of structures shall be considered only for colonies in 'G' and 'H' Categories:—

Structure Type	Pucca	Semi-pucca	Katcha
Multiplicative factor	1.0	0.75	0.5

4. Minimum rates for built-up flats up to four storeys :—

TABLE 1.3

Category of flat Depending on Plinth & Area (Square Meters)	Minimum Built up rate (in Rs. Per Sq. Mtr.) for DDA Colonies/Cooperative and Group Housing Societies (in case of residential use)	Minimum Built up rate (in Rs. Per Sq. Mtrs.) for DDA Colonies/Cooperative and Group Housing Societies/flats by private builders (in case of commercial use)	Multiplicative factors for Private Colonies
up to 30 square meters	42000	48200	1.10
Above 30 and up to 50 square meters	45400	52100	1.15
Above 50 and up to 100 square meters	55200	63300	1.20
Above 100 square meters	63500	72800	1.25

A. For the flats having more than four storeys, a uniform rate per sq. metre of Rs. 73200 will be taken as a minimum value of built up rate for residential purpose, whereas in case where the same is used for commercial purpose, a uniform rate per sq. metre of Rs. 84000 will be taken as a minimum value of built up rate for commercial purpose. For multistoried flats by private builders, a multiplicative factor of 1.25 shall be employed.

B. Where part plinth area, say one floor, of an independent property other than a flat is sold, the relevant minimum land cost may be taken for the proportionate plinth area sold, and minimum cost of construction applied on plinth area sold.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.